



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263557
CG-DL-E-03062025-263557

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 2373]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2432(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में एनएच 208 कोल्लम-थिरुमंगलम सड़क के किमी 99/4 (एलसी गेट नंबर 503/एसपीएल-ए-3/ई) पर आरओबी और अप्रोचेस का निर्माण के लिए भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 732 (अ) दिनांक 11.02.2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 12.02.2025 में प्रकाशित किया गया था, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की प्रमुख अधिसूचना संख्या का.आ. 2800 (अ) दिनांक 12.07.2021 में क्रमांक 1 के समक्ष: कालम 2 में, "विशेष जिला राजस्व अधिकारी (भूमि अधिग्रहण एनएचएआई) तेनकासी और विरुधुनगर जिले के लिए" के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, विरुधुनगर" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

फुट नोट: मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 2800 (अ) दिनांक 12.02.2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12.02.2021 को प्रकाशित किया गया था तदुपरांत संशोधन राजपत्र संख्या का.आ. 732 (अ) दिनांक 11.02.2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. RO/Chennai/MoRTH/12014/01/2021-22]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2432(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 732(E) dated 11.02.2025, for the work of Construction of ROB and their Approaches at Km. 99/4 (LC GATE NO. 503/Spl-A-3/E) of NH208 Kollam-Thirumangalam road in district of Tenkasi in the state of TAMIL NADU published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II), 12.02.2025 namely:—

In the schedule to the principal notification number S.O. 2800(E) dated 12.07.2021, against Serial No. 1 in column 2 for the entry "Special District Revenue Officer (Land Acquisition NHAI) for Tenkasi and Virudhunagar District" the entry "Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National Highways, Virudhunagar" shall be substituted.

Foot Note: The principal notification was published vide number S.O. 2800 (E) dated 12.07.2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub Section (ii), dated 12.07.2021, subsequent Amendment were published vide Gazette No. S.O. 732 (E) dated 11.02.2025.

[F. No. RO/Chennai/MoRTH/12014/01/2021-22]

SHAIKH AMINKHAN, Director